1. Drilling of tube wells / HP Installation / PWSS
2. Urban water supply schemes & Construction of over head tanks

लोक स्वास्थ्य यात्रिकी विभाग
कार्यालय

क्रमांक एफ–16/248/2000/1/34 भोपाल, दिनांक 3–1–2001

प्रति,

01. प्रमुख अभियंता,
लोक स्वास्थ्य या.त्रिकी विभाग,
भोपाल ।

02. समस्त मुख्य अभियंता,
लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग,
परिक्षेत्र...
मध्यप्रदेश ।

03. समस्त अधीक्षण यंत्री,
लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग,
परियोजना मण्डल ....

04. समस्त आयुक्त,
नगर निगम ।

05. समस्त मुख्य नगर पालिका अधिकारी,
नगर पालिका परिषद ....
नगर पंचात ....
जिला .... (म. प्र.) ।

विषयः– जल प्रदाय योजनाओं का स्थानीय निकायों को हस्तांतरण एवं नगरीय जलप्रदाय योजनाओं का कियान्वयन स्थानीय निकायों द्वारा किये जाने के संबंध में ।

संदर्भः– विभागीय ज्ञाप क्रमांक एफ–8–8/2000/2/34
दिनांक 17/18 जुलाई , 2000

.... 0 ....

जलप्रदाय योजनाओं के रूथानीय निकायेां को हस्तांतरण एवं नगरीय जल प्रदाय योजनाओ का स्थानीय निकाय द्वारा क्रियान्वयन के संबंध में संदर्भित क्रमांक एवं दिनांक से दो करण जारी किये गये थे इन परिपत्रों द्वारा राज्य शासन व इस र्निणय की जानकारी दी गई थी कि प्रदेश मे ऐसे नगरों की जल निकाय योजनाों जिनकी संचालन एवं दुतवास में लोक स्वास्थ्य या. विभाग द्वारा किया जा रहा है, को संबधित नगरी निकायों को हस्तांतरण किया जाय और यह निर्देश दिये गये थे कि ऐसी समस्त जल प्रदाय योजनाऐ सेधारण अमले तथा 3 लुब्ध बजट अवंटन सहित संबधित नगरीय निकायों को हस्तांतरित की जाय राज्य शासन के संमसंख्यक एवं

इसी दिनांक को जारी एक दुसरे ज्ञाप में यह भी स्पष्ट किया गया था कि नगरीय निकाय जल प्रदाय योजनाओं का कियान्वयन स्वयं करें । इस हेतु नगरीय निका स्वतंत्र होगे ि कवे जल प्रदाय योजनाओ का किया न्वयन लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग के अधिकारियों की तकनीकी विशेषता प्राप्त कर या अन्य निजी संस्था के माध्यम से करवाएं ।

02. राज्य शासन एतद,द्वारा नगरीय निकायों को उपलब्ध कराये जाने वाले अमले की प्रमुख सेवा सर्वे निम्नानुसार निर्धारित करता है :–

1. लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग का अमला नगरीय निकायों के प्रशाकीय नियंत्रण में रहेगा । प्रशासकीय नियंत्रण में रहते हुए अमले को नगरीय निकायों में प्रतिनियुक्त पर पदस्थ माना जायेगा ।

2.हस्तांतरित किये गये विभागीय अमले के वेतन, भत्ते आदि का भुगतान लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग के प्रावधान बजट में से दिया जायेगा ।

3.नगरीय निकायों में प्रतिनियुक्त के बाद भी इस अमले की वरिष्टता विभाग में बयावत बनि रहेगी।

4.नगरीय विकायेां को दिये गये नये अमले की पदान्नति लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग द्वारा पूर्वानुसार उनकी विभागीय संबंध में वरिष्टता एवं विभागीय भरती नियमों के अनुसार की जावेगी।

मध्य प्रदेश के राज्यपाल के नाम से
तथा आदेश नुसार

क्रमांक एफ–16 / 248 / 2000 / 1 / 34 भोपाल, दिनांक 3–1–2001

प्रतिलिपिः–

1. प्रमुख सचिव, नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग की टीप दिनांक 7.12. 2000 में संदर्भ में सूचनार्थ ।
2. संचालक, नगरीय प्रशासन विभाग की ओर सूचनार्थ ।

हस्ता / –
उप सचिव
मध्यप्रदेश शासन
लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग